**भारत सरकार**
**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1796**

**सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)**

**सामाजिक सुरक्षा**

**1796. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:**

**श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के कई मिलियन श्रमिक जैसे ऐप आधरित कैब ड्राइवर, होम डिलीवरी करने वालों को मंत्रालय की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ईएसआईसी सुविधा, पेंशन योजना, आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए कानून में संशोधन का विचार है अथवा इन क्षेत्रों के श्रमिकों को अधिसूचना जारी कर उनको ये सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन श्रमिकों को कब तक ये सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र के कामगारों (ऐप आधरित कैब ड्राइवर, होम डिलीवरी करने वाले कामगारों सहित, उनकी पात्रता के अनुसार) को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाने का प्रावधान किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ प्रदान किए जाते हैं।

मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस) के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है।

जारी...

18-40 वर्ष के आयु समूह के लगभग 3.0 करोड़ व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभांरभ 12.09.2019 को किया गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में देश भर में फैले 3.50 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से नामांकन किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति अपना नामांकन स्वयं www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं।

संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी नौ मौजूदा केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के संगत प्रावधानों को समामेलित करके, सरल तथा युक्तिसंगत बनाते हुए सामाजिक सुरक्षा, 2019 संबंधी प्रारूप संहिता तैयार की गई है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।

****